मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था

डॉ विभूति भूषण
सहायक प्राध्यापक (अतिथि)

SNSRKS, कॉलेज सहरसा

मौर्यों ने 321- 185 BC काल में मगध साम्राज्य पर शासन किया| इस कालखंड में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था का स्वरूप केंद्रीकृत था| हम इस लेख में मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत मौर्यों की सामान्य प्रशासन, राजस्व व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था के बारे में बता रहे है|

मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत प्रशासन था जिसके केंद्र में राजा या सम्राट होता था. हम जानते है की चन्द्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की और कौटिल्य राजतन्त्र का समर्थक था. उसका विश्वास राज्य की सप्तांग विचारधारा पर था जिसमें अमात्य, दुर्ग, कोष, सेना , मित्र, राजा और जनपद आते है. इसका व्यापक प्रभाव मौर्य राजनीति एवं प्रशासन पर देखने को मिलता है.

मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन व्यवस्था को सामान्य प्रशासन, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था एवं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के रूप में बांटकर समझा जा सकता है.

मौर्यकालीन सामान्य प्रशासन

मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्र से ग्राम तक 6 स्तरों में बंटा था.

केन्द्रीय प्रशासन: इसमें सम्राट तथा उसका मंत्रिपरिषद (केन्द्रीय अधिकारी तंत्र) आते थे. इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया था. प्रथम श्रेणी के अमात्य को मंत्रिनः कहा जाता था. इन्हें 48000 पण वार्षिक वेतन मिलता था. द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य होते थे इन्हें 12000 पण वार्षिक वेतन मिला था. तृतीय श्रेणी के अमात्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे इन्हें 1000 पण वेतन प्राप्त होता था.

प्रांतीय प्रशासन: मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के पांच भाग में बंटे होने का पता चलता है. जिसके संचालन के लिए सम्राट कुमारात्य (गवर्नर) की नियुक्ति करता था. ये पांच प्रान्त निम्नलिखित थे.

1. उत्तरापथ (राजधानी - तक्षशिला)
2. दक्षिणापथ (राजधानी - स्वर्णगिरी)
3. पश्चिमी प्रान्त (राजधानी - उज्जैन)
4. पूर्वी प्रान्त (राजधानी - पाटलिपुत्र)

5. कलिंग (राजधानी - तोसाली)

मंडल प्रशासन - प्रान्त विभिन्न मंडलों में विभक्त थे. मंडल का अधिकारी प्रदेष्टा कहलाता था.

जिला प्रशासन: मंडल विभिन्न जिला में बंटा था. यहां प्रशासन समाहर्ता, रज्जुक तथा युक्त द्वारा चलाया जा रहा था. समाहर्ता कर संग्राहक अधिकारी होता था जबकि रज्जुक न्यायिक अधिकारी था. युक्त पुलिस होता था.

नगर प्रशासन: जिला से नीचे नगर प्रशासन था. नगर प्रशासन के देखभाल के लिए 6 उपसमितियां थी, जो क्रमशः निम्नलिखित कार्य करते थे.

1. यह शिल्पियों एवं औद्योगिक क्रिया कलाप पर नियंत्रण रखती थी. सार्वजनिक भवनों एवं सड़कों का निर्माण इसी समिति द्वारा कराया जाता था.
2. विदेशियों के भोजन आवास चिकित्सा एवं दाह संस्कार का प्रंबध
3. जनगणना से संबंधित
4. व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण रखने वाली समिति
5. उत्पादित वस्तुओं में मिलावट एवं विक्रय का देखभाल
6. विक्रय कर का निरीक्षण

कौटिल्य भी नगर प्रशासन का उल्लेख करता है. कौटिल्य के पण्याध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष वहीं कार्य करते थे जो मेगास्थनिज के पहली और पांचवी समिति के सदस्य करते थे.

ग्राम प्रशासन: मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामणी होता था.

मौर्य राजनीतिक नियंत्रण पर आधुनिक विचार

अनेक विद्वानों ने मौर्य राजनीति को पूर्णतः केन्द्रित कहा है, जबकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते है. रोमिला थापर ने नियंत्रण के तीन रूप बताये है जो निम्न है.

1. **महानगरीय राज्य** - इसके तहत मगध के आस-पास का क्षेत्र आता था. यहाँ सम्राट, सेना, मंत्री आदि रहते थे. यह क्षेत्र सर्वाधिक केंद्रीकृत था.
2. **कोर राज्य** - इसके तहत तक्षशिला, कलिंग आदि आते थे.यहाँ नियंत्रण महानगरीय राज्य जैसा नहीं था लेकिन सेना एवं अधिकारीयों के द्वारा हर संभव नियंत्रण की कोशिश की जाती थी.
3. **सीमापवर्ती राज्य** - यह आटविक जनजातियों (डाहल क्षेत्र, जबलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र) था. यहां नियंत्रण सबसे कमजोर था.

मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था

राज्य के उद्देश्यों को पुरा करने और प्रशासन एवं सेना का खर्च जुटाने के लिए मौर्य शासकों ने विस्तृत राजस्व प्रणाली की व्यवस्था की. राजस्व अनेक स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता था. इसमें दुर्ग राष्ट्र, खान, सेतू, वज्र और वणिक पथ प्रमुख है.

1. दुर्ग - चुंगी, जुर्माना, जेलखाना, शराब, वस्त्र उद्योग, वेश्या, कारीगर आदि
2. राष्ट्र - जनपद से होने वाली आय (भूमिकर, बंदरगाह, सड़कों, चरागाहों की आमदनी
3. खान - खनिज पदार्थो एवं कारखानों से प्राप्त आय
4. सेतू - बगीचों से प्राप्त आय
5. वज्र - मवेशियों से प्राप्त आय
6. वणिक पथ - स्थल मार्ग एवं जलमार्ग उपयोग से संबंधित आमदनी

आमतौर पर कर उगाही की मात्रा निश्चित होती थी लेकिन विपत्ति के समय कर उगाही बढ़ाने की व्यवस्था थी. राज्य की धन की कमी को पुरा करने के लिए उचित एवं अनुचित दोनों प्रकार की कर व्यवस्था का प्रावधान था.

राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता था जो विभिन्न अधिकारीयों की सहायता से राजस्व उगाहता था. राजकीय कोष का देखभाल सन्निधाता करता था. राज्य के आर्थिक हितों में क्षति पहुँचाने वालों के लिए कड़े से कड़े दंड यहाँ तक की मृत्युदंड का प्रावधान था.

मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था

मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में प्रधान राजा ही होता था. लेकिन राज्य की तरफ से अनेक न्यायालय भी स्थापित किये गये थे. न्यायालय व्यवस्था में भी श्रेणीक्रम की स्थिति प्राप्त होती है. यह केन्द्रीय न्यायालय से लेकर ग्राम न्यायालय तक फैली थी.

सबसे उपर केन्द्रीय न्यायालय था, जो दो प्रकार का होता था. धर्मस्थीय और कंटकशोधन. धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी तथा कंटकशोधन में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी. हालाँकि दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं था.

दोषियों को अपराध की प्रवृति के आधार पर जुर्माना के साथ-साथ अंग-भंग एवं मृत्युदंड आदि की सजा दी जाती थी. आरोपों की यथार्थता की जाँच के लिए विभिन्न उपाय अपनाये जाते थे.